

प्राप्ति
134
10/3/26

का तथा 35,000/- 35,000/- की दो मौतबीर जमानत मुचलका तस्दीक करावे तो अभियुक्त को जमानत पर आजाद किया जावे अन्य अभिरक्षा में रहे। माफिक आदेश की पालना में जमानत मुचलके तस्दीक किये जो बाद जांच तस्दीक किये गए। अभियुक्त महिपाल सिंह मुचलका वास्ते सब-इंचार्ज जेल, पोंकरण को इस आशय की तहशीर अभियुक्त महिपाल की किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो तस्दीकशुदा मुचलका रिहा किया जावे। अतः पत्रावली वास्ते वरुण लक्ष्मणराम दिनांक 18.03.2026 को पेश हो।

4/6/2
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
पोंकरण जेलघर (राज.)

10/3/26

Add PP उप०।

अभियुक्त लक्ष्मण P/W से उपस्थित लिखे JC में लिया गया। उसकी ओर से इच्छित की जा चुकी है।

अभियुक्त महिपाल सिंह अत्र उपस्थित उप०।

अभियुक्त जोमालदास मल्लिक (ह)

श्री अभियुक्त जोमालदास मल्लिक की ओर से लिखे

रा. मा. पेश की गई जो जेल के लिए

लीजा जा रही है। अभियुक्त लक्ष्मण

के बचत मुचलका 45 313 4500 लेने का

लिखे गए साक्ष्य उप०। (मा. पेश कानून) चाहें।

व अवसर चाहें अवसर दिया जावे।

पत्रावली को साक्ष्य उप०। दिनांक

30.03.2026 को पेश हो। तब तक

अभियुक्त लक्ष्मण की JC अवधि

बढ़ाई जाती है। अभियुक्त लक्ष्मण

की JC कांस्टेबल ने ले जाया जावे

कि अभियुक्त की कुली 26

उकला है। साक्ष्य पेश की जावे

है अतः अभियुक्त को पोंकरण

जेल में ही रखा जावे।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य उप०।

दिनांक 20/03/2026 को पेश हो।

4/6/2

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
पोंकरण जेलघर (राज.)

लक्ष्मण

महिपाल सिंह